From: manaswi Shende <mrs.vinita.shende@gmail.com>
Date: 23 September 2019 at 11:50:35 PM IST
To: arvind@trai.gov.in
Subject: NTO Consultation

सेवा में ,चेयरमैन टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी आफ इंडिया
जवाहर लाल नेहरू मार्ग
नई दिल्ली 110002

विषय (टैरिफ पर परामर्श पत्र संख्या: 10/2019, दिनांक 16 अगस्त 2019 से सम्बंधित)

महोदय,
परामर्श पत्र संख्या: 10/2019, दिनांक 16 अगस्त 2019 द्वारा मांगे गए सुझाव ।

जैसा कि आप जानते हैं कि केबल टीवी आम उपभोक्ताओं के लिए सूचना, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी हासिल करने का एकमात्र सस्ता साधन था
जो आठवे टैरिफ के लागू होने के पश्चात कुछ ब्रॉडकास्टर्स ने उसे आम उपभोक्ताओं के लिए केबल टी वी महंगा व टैरिफ का फायदा लेना कठिन कर दिया।

क्ब्रॉडकास्टर्स के द्वारा DPO (mso+lco) को पे चेनल्स पर दिया जाने बाला 20% बहुत ही कम है इस 20% में से mso व lco दोनों को आपस मे बाँटना है जिससे lco को बहुत ही कम नाम मात्र का रा
उदाहरण के लिए अगर किसी
चैनल मूल्य 10.00 रुपये
कुल DPO Fee 20% = 2.00 रु
Lco मार्जिन 20%में 45%=90 पैसे
यह बिल्कुल ही अमान्य है।

अगर आपके 15 मार्च 2016 के the telecommunication(Broadcasting and cable services) interconnection (Digital addressable cable television systems) (seventh amendment reg
12. Revenue settlement between the mso and ko and related rights and obligations
के
12.1 (d) thecharges collectedfrom the subscription of channels or bouquet of channels or channal and bouquet of channel other than those specified under clause (a) shall be
के अनुसार गणना करें तो।
चैंनल मूल्य अगर = 10.00 रुपये
Mso 65%. = 6.50
Lco 35% = 3.50

जबकि mso मिलने बाले 65% में से ही ब्रॉडकास्टर की चैनल का मूल्य देता।

अतः बड़े अफसोस कि व सोचने की बात है कि आठवें टैरिफ के बाद lco को 10 रुपये कीमत के चैनल से मात्र 90 पैसे मिल रहे हैं जबकि पहले उसी 10 रुपये कीमत के चैनल से 3.5 रुपये मिलते थे
अतः 20% की सीमा को बढ़ाना अति आवश्यक है। यह इस प्रकार हो कि lco को चैनल/बुके के मूल्य का कम से कम 35%राजस्व प्राप्त हो। अर्थात Dpo फी 60%(45:15 lco:mso) हो जिसमें से 45

बर्तमान में NCF 130 रुपये व NCF पर बर्तमान में जो नियम हैं वह उचित हैं फिलहाल उनमें बदलाब की कोई आवश्यकता नहीं है उसमें mso व lco की रैवेन्यू हिस्सेदार 10:90 के अनुपात में होनी च

सबसे महत्वपूर्ण विषय पर प्राधिकरण का ध्यान ही नहीं गया है जबकि उस उस विषय पर ध्यान पूर्ब में ही दिया जाना आवश्यक था।
जब आठवें टैरिफ के अनुसार कोई भी PAY/FTA चैनल सभी डिस्ट्रीव्यूशन प्लेटफार्म के लिए समान रूप से PAY/FTA रहेगा।
तब फिर कुछ ब्रॉडकास्टर्स अपने PAY चेनल्स को DTH (जैसे DD FREE DISH) से न तो वह चेनल्स का मूल्य ले रहे है बलिक पैसे देकर (स्लॉट लेकर) चेनल चला कर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।
जो ब्रॉडकास्टर्स DTH (जैसे DD फ्री डिस) पर अपने चेनल्स प्रसारित कर रहे हैं उन्हें आदेशित किया जाना चाहिए कि वे उन चैनल्स को FTA घोषित करें अन्यथा DTH (जैसे DD फ्री डिस)पर उन चेनल
जिससे नियमों का उलंघन बन्द हो।
यहां पर यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि हमारी आपत्ति DD फ्री डिस की फ्री उपभोक्ताओं को उपलब्ध होने पर नहीं है।
बल्कि हमारी आपत्ति प्रसारकों (ब्रॉडकास्टर्स) द्वारा DTH (जैसे DD फ्री डिस) को फ्री में pay चैनल्स उपलब्ध कराने के साथ साथ चैनल चलाने के लिए भुगतान करने से है।

धन्यवाद
विनीता शेंडे
गुरु नानक पुरा
नागपुर